कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 374 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0) / 2018–19 दिनांकः– 08 .08.2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–5054 (पूँजीगत) सड़क / भवन एंव सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भः (1) शासनादेश संख्या–1502 / III (2) / 18–02 (बजट) / 2018 दिनांक–09.04.2018
(2) मुख्य अभियन्ता, क्षे.का. लो.पि.वि. अल्मोड़ा का पत्र संख्या 1338 / 507 याता–अ0 / 18 दिनांक 30.05.2018 एवं नियोजन वर्ग–III, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) का पत्र संख्या 580 / 01 (17) मू0अ0नि0–III / 18 दि0 30.06.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क0सं0 1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–505404337040024 (पूँजीगत) सड़क / भवन / पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 3000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा मुख्य अभियन्ता, क्षे.का.लो.नि.वि. अल्मोड़ा के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.05.2018 (क0सं0 2) द्वारा भू–अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित धनावंटन की मॉग के कम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नविवरणानुसार अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 कपकोट को ₹ 32.94 लाख (₹ बत्तीस लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि इंगित शर्तो के अन्तर्गत आबंटित की जाती हैं। (धनराशि लाख ₹ में)

क. सं.	मार्ग / प्रकरण का नाम	सम्बन्धित कार्यदायी खण्ड	आगणन की लागत	वित्तीय वर्ष 18–19 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	फल्यांटी–नामतीचेटाबगड़ मोटर मार्ग में कटी नाम भूमि का प्रतिकर भुगतान। (किमी0 1 से 3 तथा किमी0 4 से 7 तक का प्रभाग)	नि0ख0 कपकोट	32.94	32.94
	योग,		**32.94**	**32.94**

आबंटन की शर्ते (1) उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिकर / मुआवजे / फसल / फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी / उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को अविलम्ब एवं नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों / पक्षकारों को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित काश्तकारों / पक्षकारों द्वारा संशोधित दरें अर्थात बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की जाती है तो संशोधित वृद्वि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी मानें जायेंगे, तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित सम्मिलित कास्तकारो को उनके नाम के सम्मुख देय प्रतिकर धनराशि का भुगतान आवश्यक जॉच–परीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त ही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरणवार / खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यो / मार्गो के मूल आगणन में सम्मिलित नही था और न हीं उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना / मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।
(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरूद्व किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।
(5) उपरोक्त वर्णित कार्य वर्तमान में किन्ही कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यो में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अर्न्तगत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय।
(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।
(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–04 सड़क / भवन / पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00–24 वृहत्त निर्माण कार्य

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

I.T
Up Load करें।
14.8.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– वित्त नियत्रंक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख–सीमा जारी करने हेतु।
4– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग बागेश्वर।
5– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण / भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून ।
6– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट।
7– आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
8.8.2018